न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **1777/2016**

GCMS No. : **2016/00498**

–:: प्रार्थी ::–

1. सुगनाराम पुत्र हरजीराम जाति– मेघवाल, निवासी– डिगरना, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. गबरूराम पुत्र हरजीराम
2. सुशीला पुत्री देवाराम
3. भंवराई पत्नि भंवरूराम
4. सोहनी पुत्री भंवरूराम
5. घेवरराम पुत्र उम्मेदराम
6. ढगलाराम पुत्र उम्मेदराम
7. अर्जून राम पुत्र उम्मेदराम
8. खींयाराम पुत्र उम्मेदाराम
9. हनुमान राम पुत्र गोपूराम
10. अमराराम पुत्र सुखाराम
11. सुवटी बेवा सुखाराम जातियान– मेघवाल, निवासी– डिगरना, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
12. तहसीलदार महोदय एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू: 09/06/2016

उपस्थित:– 1.श्री रामस्वरूप चौधरी, किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री श्याम लाल तंवर, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉंक: 06/01/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना में सायल एवं गैरसायलान संख्या 01 से 04 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible]9/1 रकबा 01–15 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 986 रकबा 03–05 बीघा किस्म गैरमुमकिन एवं इसी तरह सायल एवं समस्त [illegible] की शामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 958 रकबा 26–15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नमबर 969 रकबा 24–02 बीघा बारानी दोयम, खसरा नम्बर 984 रकबा 17–12 बीघा बारानी दोयम, खसरा नम्बर 994 रकबा 10–10 बीघा बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 995 रकबा 46–08 बीघा बारानी अव्वल की आई हुई है। नकल जमावन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी सायल एवं गैरसायलान की राजस्व रेकर्ड में सामलाली आराजी है। जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है, मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का सायल एवं गैरसायलान अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त सम्पूर्ण आराजी में सायल का भी हक हिस्सा है एवं इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का बंटवाडा कर दिया था। परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी आज दिन तक भी शामलाति चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाली दर्ज होने, उसका कानूनन बाई मिटर एण्ड बाऊण्डस के बंटवाड़ा नहीं होनें से सायल को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें सायल अपनी आराजी में कुआ खुदवाने, बैंक से ऋण लेने, अपनी आराजी को उपजाऊ बनाने, उसके चारो तरफ तारबन्दी करनें, खाद-बीज मिट्टी डालने में सायल को अनेको परेशानीयो का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन परेशानीयों से बचने के लिये कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में सायल का अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा-काश्त है। परन्तु गैरसायलान सायल को मौके से बेदखल कर सायल की बेशकीमती आराजी को हड़प करना चाहते है तथा अजनबी क्रेता को बेचान करने पर आमादा है, आये दिन सायल के हक हिस्से की भूमि पर व सायल के कब्जे-काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है तथा सायल की आराजी में कब्जा करने पर उतारू है तथा गैरसायलान सायल की आराजी के चारों तरफ की गई मेड़बन्दी को बिखेर देते है एवं सायल की आराजी में पशुओं को खुला छोड़कर फसलों को नष्ट कर रहे है एवं आये दिन दखलंदाजी व हस्तक्षेप करते रहते है तथा गैरसायलान सायल को एलानिया धमकी देते है कि उसको मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अकेले ही कब्जा कर लेगें एवं उक्त आराजी को आगे अजनबी केता को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर देगें। यदि गैरसायलान अपने इन नापाक इरादों मे कामयाब हो जाते है एवं सायल को मौके से बेदखल कर भूमि अजनबी क्रेता को बेचान कर देते है, तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी एवं सायल अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगा। इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। दिनांक 31-05-2016 को गैरसायलान ने सायल को मौके से बेदखल कर उक्त भूमि को बिना बंटवाड़ा कराये ही अजनवी क्रेता को बेचान करने की एलानिया धमकी दी तब सायल ने गैरसायलान को कहा कि आपसी रजामन्दी से उक्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा कर ले, [illegible] से पूर्व में अपना बंटवाडा हो रखा है, उसी अनुसार तहसील [illegible] आपसी रजामंदी से मौके पर बंटवाडा के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा [illegible] लेवे परन्तु गैरसायलान इन्कार हो गये एवं सायल को कहा कि वो धनबल के [illegible]ार पर उसे बदेखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना हक व अधिकार जमा लेगें। यदि गैरसायलान अपने गैरकानूनी मंसूबों में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपने साम्पैतिक हक अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिये महरूम होना पड़ेगा एवं मौके पर लडई अगडे होगें, विवाद बढ़ेगा। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिन्स बढ़ेगी। इसलिए सायल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है। यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायल को उसके कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर देते है, तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी कतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में प्रमाणित है। यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती उक्त आराजी को रहन बेचान के अन्य हस्तान्तरण कर दिया तो सायल उनको ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे तथा मौके पर विवाद होगा इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान इस आश्य की जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी में सायल अपने हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी मे काश्त करे या काश्त मुतालिक कुल कार्य खडाई, बुवाई, कटाई करे तो उसमें गैरसायलान उनके हाली, एजेन्ट, नौकर चाकर इत्यादि दखल व दस्तन्दाजी हस्तक्षेप बाधा व अडचन पैदा नही करें। जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावें। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02 व 09 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी 03 से 08 व 10 से 12 बावजूद नोटिस सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02 व 09 को जवाब प्रार्थना-पत्र पेश करने के अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना-पत्र बंद किया गया। बहस वकुलाय की सुनी गई।

बहस वकुलाय की राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया और उस उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है :-

<u>(01) प्रथम-दृष्ट्या मामला :</u> वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार है तथा वादी द्वारा कानूनन बंटवाड़े बाबत् वाद प्रस्तुत किया है, जो जैरकार है। प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। चुंकि प्रत्येक सहखातेदार को अपने हक [illegible] की आराजी का उपभोग/उपयोग करनें का अधिकार होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] से यह स्पष्ट हैं कि वादी का उसके हक-हिस्से तक की आराजी के [illegible]भोग/उपयोग में प्रतिवादीगण द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है, जिन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

<u>(02) सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति :-</u> चूंकि प्रथम-दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी सहखातेदार एवं कब्जा-काश्त है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:49 IST
Reason: SelfAttested

अतः सुविधा का संतुलन वादी के हक–हिस्से तक वादी/प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित होता तथा यदि प्रतिवादीगण को वादी/प्रार्थी के हक–हिस्से तक वादग्रस्त आराजी के उपयोग/उपभोग में दखल से जरिए निषेधाज्ञा रोका नहीं गया तो प्रार्थी अपूर्णनीय क्षति होनें की प्रबल आशंका भी साबित होती है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित होनें से स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को प्रार्थी/वादी के हक–हिस्से तक की आराजी में काश्त एवं अन्य कृषि विकास कार्य करनें में स्वयं या अन्य द्वारा दखल देनें ताफैसला वाद से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाना विधिसंगत एवं उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा, 212 राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम– डिगरना पटवार हल्का डिगरना, तहसील– जैतारण, जिला पाली की खसरा संख्या 959/1 रकबा 01–15 बीघा, खसरा नम्बर 986/1 रकबा 03–05 बीघा, खसरा नम्बर 958 रकबा 26–15 बीघा, खसरा नमबर 969 रकबा 24–02 बीघा, खसरा नम्बर 984 रकबा 17–12 बीघा, खसरा नम्बर 994 रकबा 10–10 बीघा, खसरा नम्बर 995 रकबा 46–08 बीघा भूमि पर सहखातेदारान के वर्तमान कब्जे काश्त में कोई परिवर्तन नहीं करें, किसी भी सहखातेदारान के हक–हिस्से तक काश्त आदि में हस्तक्षेप नहीं करें, किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं करें, नवीन निर्माण इत्यादि नहीं करें तथा वर्तमान मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 06/01/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.01.29 16:11:49 IST
Reason: SelfAttested